Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38–2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 3, 2022 (PHALGUNA 12, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd March, 2022

No. 4-HLA of 2022/13/4315.— The Haryana Repealing Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 4-HLA of 2022

THE HARYANA REPEALING BILL, 2022

A

BILL

to repeal certain enactments.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Repealing Act, 2022. Short title.

2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed: Repeal of certain enactments.

Provided that any claim of the refugee which is pending or which may arise after passing of this Act, shall not be affected and shall continue to be governed by the concerned law.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; Savings.

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force.

SCHEDULE

Repeals

(see section 2)

Serial Number	Name of the Act	Act Number and Year
1	2	3
1.	The Haryana Riverain Boundaries Act, 1899.	Punjab Act 1 of 1899
2.	The Colonization of Government Lands (Haryana) Act, 1912.	Punjab Act 5 of 1912
3.	The Haryana District Boards (Tax Validating) Act, 1927.	Punjab Act III of 1927
4.	The Haryana Relief of Indebtedness Act, 1934.	Punjab Act VII of 1934
5.	The Haryana Copying Fees Act, 1936.	Punjab Act 5 of 1936
6.	The Haryana Restitution of Mortgaged Lands Act, 1938	Punjab Act 4 of 1938
7.	The Haryana Jagirs Act, 1941	Punjab Act V of 1941
8.	The Haryana Local Authorities (Restriction of Functions) Act, 1947	East Punjab Act 9 of 1947
9.	The Haryana Extension of Limitation Act, 1947	East Punjab Act XVI of 1947
10.	The Haryana Refugees Rehabilitation (Loan and Grant) Act, 1948	East Punjab Act 2 of 1948
11.	The Haryana Refugees (Registration of Claims) Act, 1948	East Punjab Act 8 of 1948
12.	The Haryana Refugees Registration of Land Claims Act, 1948	East Punjab Act XII of 1948
13.	The Haryana Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites) Act, 1948	East Punjab Act 42 of 1948
14.	The Haryana Refugees Rehabilitation (House Building Loans) Act, 1948	East Punjab Act 43 of 1948
15.	The Haryana District Boards (Tax Validating) Act, 1955	Punjab Act 27 of 1955
16.	The Haryana Land Revenue (Special Assessments) Act, 1955	Punjab Act 6 of 1956
17.	The Ambala District Board Tax Validating Act, 1956	Punjab Act 21 of 1956
18.	The Haryana Resumption of Jagirs Act, 1957	Punjab Act 39 of 1957
19.	The Haryana Land Revenue Special Assessment (Exemption) Act, 1962	Punjab Act 7 of 1962

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The repeal of enactments which have ceased to be in force or have become obsolete or the retention whereof as separate, independent and distinct Acts is unnecessary, then, such enactments are to be repealed. These enactments in reality have lost its meaning but are still shown on the Statute-Books. These laws have become irrelevant and dysfunctional.

The Haryana Statute Review Committee under the Chairmanship of Mr. Justice Iqbal Singh (Retd.) constituted by State Government submitted its report in which it has been recommended to repeal various Act. These Acts also figures in that list.

Hence, the proposed The Haryana Repealing Bill 2022.

DUSHYANT CHAUTALA,
Deputy Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 3rd March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 4–एच.एल.ए.

हरियाणा निरसन विधेयक, 2022

कतिपय अधिनियमितियों को निरसित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा निरसन अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, इसके द्वारा, निरसित की जाती हैं:

परन्तु शरणार्थी के किसी दावे, जो लम्बित है या जो इस अधिनियम के पारित होने के बाद उत्पन्न हो सकता है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा सम्बद्ध विधि द्वारा शासित होता रहेगा।

व्यावृत्ति।

3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी अन्य अधिनियमिति को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, सम्मिलित या निर्दिष्ट की गई हैं;

और यह अधिनियम पहले से की गई या सहन की गई किसी बात की वैधता, अवैधता, प्रभाव या परिणामों या पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व, या उनके सम्बन्ध में किसी उपचार या कार्यवाही, या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे अथवा मांग की या से निर्मुक्ति या उन्मोचन, या पहले से दी गई किसी क्षतिपूर्ति, या किसी पूर्व कार्य या बात के सबूत को प्रभावित नहीं करेगा;

और न ही यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धान्त या नियम, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, व्यवहार या प्रक्रिया के रूप या क्रम, या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति को प्रभावित करेगा, इस बात के होते हुए भी कि वे क्रमशः इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, उसके या उससे किसी भी रीति में अभिपुष्ट किए गए हों या मान्यता दी गई हो या व्युत्पन्न हुए हों;

और न ही इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, रिवाज, प्रक्रिया या अन्य मामले या बात को पुनरूजीवित या प्रत्यावर्तित करेगा जो अब प्रचलित या लागू नहीं है।

अनुसूची

निरसन

(देखिए धारा 2)

क्रम संख्या	अधिनियम का नाम	अधिनियम संख्या तथा वर्ष
1	2	3
1.	हरियाणा नदी तटीय सीमा अधिनियम, 1899	1899 का पंजाब अधिनियम 1
2.	सरकारी भूमि उपनिवेशन (हरियाणा) अधिनियम, 1912	1912 का पंजाब अधिनियम 5
3.	हरियाणा जिला बोर्ड (कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1927	1927 का पंजाब अधिनियम III
4.	हरियाणा कर्जदारी सहायता अधिनियम, 1934	1934 का पंजाब अधिनियम VII
5.	हरियाणा प्रतिलिपिकरण फीस अधिनियम, 1936	1936 का पंजाब अधिनियम 5
6.	हरियाणा बंधकित भूमि प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1938	1938 का पंजाब अधिनियम 4
7.	हरियाणा जागीर अधिनियम, 1941	1941 का पंजाब अधिनियम V
8.	हरियाणा स्थानीय प्राधिकरण (कृत्य–निर्बन्धन) अधिनियम, 1947	1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 9
9.	हरियाणा परिसीमा विस्तारण अधिनियम, 1947	1947 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XVI
10.	हरियाणा शरणार्थी पुनर्वास (कर्जा तथा अनुदान) अधिनियम, 1948	1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 2
11.	हरियाणा शरणार्थी (दावा पंजीकरण) अधिनियम, 1948	1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 8
12.	हरियाणा शरणार्थी भूमि दावा पंजीकरण अधिनियम, 1948	1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम XII
13.	हरियाणा शरणार्थी पुनर्वास (भवन तथा भवन स्थल) अधिनियम, 1948	1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 42
14.	हरियाणा शरणार्थी पुनर्वास (गृह निर्माण ऋण) अधिनियम, 1948	1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 43
15.	हरियाणा जिला बोर्ड (कर विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955	1955 का पंजाब अधिनियम 27
16.	हरियाणा भू–राजस्व (विशेष निर्धारण) अधिनियम, 1955	1956 का पंजाब अधिनियम 6
17.	अम्बाला जिला बोर्ड कर विधिमान्यकरण अधिनियम, 1956	1956 का पंजाब अधिनियम 21
18.	हरियाणा जागीरों का पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1957	1957 का पंजाब अधिनियम 39
19.	हरियाणा भू–राजस्व विशेष निर्धारण (छूट) अधिनियम, 1962	1962 का पंजाब अधिनियम 7

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

उन अधिनियमों का निरसन जो लागू होना बंद हो गए हैं या अप्रचलित हो गए हैं या जिनका अलग, स्वतंत्र और विशिष्ट अधिनियमों के रूप में प्रतिधारण अनावश्यक है, ऐसे अधिनियमों को निरस्त किया जाना है। ये अधिनियम वास्तव में अपना अर्थ खो चुके हैं लेकिन फिर भी अधिनियम–पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। ये अधिनियम अप्रासंगिक और बेकार हो गए हैं। श्री न्यायमूर्ति इक्बाल सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा गठित हरियाणा संविधि समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विभिन्न अधिनियमों को निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। ये अधिनियम भी उस सूची में शामिल हैं। अतः हरियाणा निरसन विधेयक 2022 प्रस्तावित है।

दुष्यंत चौटाला,
उप मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 3 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9509—H.V.S.—H.G.P. Pkl.